नियम 155 : भू–राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली

जहां किसी रकम की धारा 79 उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां उचित अधिकारी जिले के कलक्टर या उपायुक्त को या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–18** में इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में, विनिर्दिष्ट रकम की संबंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू–राजस्व की बकाया रकम थी।